माननीय वित्त मंत्री का भाषण*

डॉ. सुब्बाराव, गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक, श्रीमती थोराट, उप गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट (बीआरबीएनएमपीएल) लिमिटेड और भारतीय सुरक्षा मुद्रण और टकसाल निगम लिमिटेड (एसपीएमसीआइएल) के बोर्ड सदस्य ;

2. मुझे आज यहां मैसूर के इस ऐतिहासिक शहर में एक अधुनातन करेंसी नोट पेपर उत्पादन सुविधा स्थापित करने हेतु इस परियोजना के शिलान्यास के अवसर पर होने की अत्यंत खुशी है। मैं वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक को अपेक्षाकृत कम समय में इस परियोजना के निर्माण की अवधारणा बनाने और तेजी से उसके कार्यान्वयन के लिए बधाई देता हूँ।

3. एक केंद्रीय बैंक के प्राथमिक कार्यों के बीच मुद्रा वितरण एक प्रमुख सरकारी कार्य है। इसके सभी कार्य भी स्पष्ट दिखाई देते हैं क्योंकि यह आम आदमी को सीधे और तुरंत छूता है। अतःसीधे सरल शब्दों में अर्थव्यवस्था में किये जानेवाले वित्तीय लेनदेनों में करेंसी नोटों का स्थान महत्वपूर्ण बना हुआ है।

4. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934, की धारा 25 के अनुसार बैंक नोटों के डिजाइन, फार्म और सामग्री भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सलाह के आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा मंजूर होनी चाहिए। इस अधिनियम की धारा 22 भारतीय रिजर्व बैंक को भारत में बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार देती है। इस अधिनियम की प्रस्तावना भारतीय रिजर्व बैंक को बैंक नोटों के निर्गम के विनियमन और देश की मुद्रा प्रणाली के परिचालन का कार्य सौंपती है। केन्द्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्ण स्वामित्व वाले उद्यमों यथा एसपीएमसीआइएल और बीआरबीएनएमपीएल भारतीय करेंसी नोटों की मांग को पूरा करने के लिए जिम्मेदार हैं। इस प्रकार, केन्द्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक पर मुद्रा के प्रशासन से

* 22 मार्च 2010 को मैसूर, कर्नाटक में सिक्योरिटी पेपर मिल की आधारशिला रखने के समारोह के अवसर पर माननीय वित्त मंत्री द्वारा दिया गया भाषण।

संबंधित मामलों की बराबर की जिम्मेदारी है। इस उत्पादन इकाई जो समान अनुपात में एसपीएमसीआइएल और बीआरबीएनएमपीएल बीच पूरी तरह से एक संयुक्त उद्यम इकाई के रूप में विचार किया गया है जो सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच इस क्षेत्र में सहकारी प्रयास को बनाए रखने और इसे और मजबूत बनाने की आवश्यकता को दर्शाता है।

5. मुद्रा प्रबंध एक सामरिक कार्य है। सतर्क रहने की मुख्य चुनौतियों में से एक चुनौती नकली मुद्रा की समस्या के खतरे के खिलाफ है जिस पर नकेल न रखी गई तो इसके गंभीर परिणाम निश्चित हैं। बड़ी संख्या में नकली नोटों के चलन से कानूनी तौर पर कमाये गये नागरिकों के धन के मूल्य का क्षरण होता है, पैसे की अधिक आपूर्ति के माध्यम से मुद्रास्फीति बढ़ती है और गैरकानूनी और अवैध गतिविधियों को गुप्त रूप से धन मिलने से देश की सुरक्षा प्रभावित होती है। भारत इस संबंध में विशेष रूप से असुरक्षित है,क्योंकि ज़्यादातर जालसाजी हमारे हितों के प्रतिकूल कुछ देशों और सेनाओं द्वारा एक प्रायोजित गतिविधि के रूप में होती है। हालांकि हाल के वर्षों में संचलन में जाली मुद्रा के परिमाण में बढ़ने की प्रवृत्ति दिखाई दी है, लेकिन इस समस्या की भयावहता अभी भी प्रबंधनीय अनुपात के भीतर है, और, कुल अनुमानित नकली मुद्रा मुद्रा आपूर्ति का एक अत्यल्प हिस्सा है। हालांकि, बढ़ता हुआ यह खतरा हम पर यह सुनिश्चित करने की एक जिम्मेदारी डालता है कि लिए हमारी मुद्रा अत्यंत विश्वसनीय रहे और नकली बनाने की संभावना न रहे और इसके विशिष्ट पहलुओं की अवहेलना न की जा सके।

6. भारत जैसे विशाल और विकासशील देश के लिए करेंसी नोट बनाने के लिए लगने वाली विभिन्न सामग्रियों यथा सुरक्षा पहलुओं, कागज और स्याही का स्वदेशीकरण उनकी विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य है। तथापि, जितनी ही ज्यादा प्रक्रियाओं में लचीलापन होगा वहां हमेशा उतना ही ज्यादा संदेह बना रहेगा। क्योंकि हमें उन चीजों, जो बैंक नोट के बनाने में लगती हैं, की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर रहना पड़ता है। भारत ने विज्ञान और प्रौद्यागिकी के क्षेत्र में अनेक उपलब्धियां - न केवल हाल ही के समय में दर्ज करायी हैं बल्कि मानव सभ्यता के ठीक प्रारंभ से ही दर्ज करायी हैं। अतः, उन सभी सामग्रियां, जो करेंसी नोट के उत्पादन में लगती हैं, का उत्पादन करने का उद्देश्य हमारी क्षमता से परे नहीं है।

7. यद्यपि हम करेंसी नोटों की छपाई में पूर्णतया आत्मनिर्भर हैं लेकिन हमें कागज की आवश्यकता पूरी करने के लिए अधिकांशतः आयातों पर निर्भर रहना पड़ता है। वर्तमान समय में, 15-16 हजार बिलियन नग बैंक नोटों की छपाई के लिए कागज की वार्षिक आवश्यकता 18,000 टन के आस-पास है। जिसमें से इसका 95% विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से आयात करना पड़ता है। इस आवश्यकता में और वृद्धि होने की संभावना है जिसका निहितार्थ यह है कि पर्याप्त देशी निर्माण क्षमता के अभाव में निर्यात पर हमारी निर्भरता और बढ़ेगी। कागज की उत्पादन क्षमता में तदनुरूप वृद्धि के बिना वैश्विक रूप से बैंक नोट के कागज की मांग में वृद्धि के कारण देश को आपूर्ति घटने तथा इसके साथ ही साथ सहगामी ऊंचे मूल्यों की स्थिति का सामना शीघ्र करना पड़ सकता है।

8. मुझे यह बताया गया है कि 6,000 टन वार्षिक उत्पादन क्षमता के साथ मैसूर में यह विनिर्माण सुविधा इस संयुक्त उपक्रम की पहली उत्पादन लाइन होगी। मुझे यह भी बताया गया है कि यह क्षमता द्वितीय चरण में बढ़ाकर 12,000 टन की जाएगी। इन क्षमताओं से भारत में करेंसी पेपर हेतु मांग और आपूर्ति का अंतर काफी कम करने में मदद मिलेगी और इस प्रक्रिया का प्रारंभ

जो अंततः भारत को करेंसी नोट बनाने के लिए लगने वाली सभी सुरक्षा वस्तुओं के उत्पादन में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बना देगा। बैंक नोट पेपर के निर्माण के स्वदेशीकरण से सुनिश्चित, बाधाविहीन और समय पर वस्तुओं की आपूर्ति, लागत में बचत, रोजगार सृजन के रूप में पीछे से मिलने वाले एकीकरण का लाभ मिलेगा और जालसाज़ी से कारगर रूप से निपटा जा सकेगा। इस प्रकार, यह परियोजना महान रणनीतिक महत्व की है और हमें इसी सफलता के लिए पूरे संकल्प के साथ प्रतिबद्ध रहना चाहिए।

9. स्वदेशीकरण के इस प्रयास को इसके तार्किक अंत तक ले जाना चाहिए और इसमें सुरक्षात्मक पहलू तथा स्याही भी शामिल है। मुझे बताया गया है कि एसपीएमसीआइएल में सुरक्षात्मक इंटैग्लियो स्याही के निर्माण की मामूली क्षमता है। इस क्षमता को बढ़ाया जाना चाहिए और स्याही के उत्पादन की आवश्यकता के लक्ष्य में आत्मनिर्भरता लायी जानी चाहिए।

10. बैंक नोटों में प्रयोग किये जाने वाले सुरक्षात्मक पहलू तकनीकी रूप से आधुनिक है और विकसित उत्पाद अनुसंधान और विकास में दीर्घावधि में लगे भारी निवेशों का परिणाम है। यह उत्पाद खास आपूर्तिकर्ताओं से अनुकूलित सर्वथा भिन्न करारों, जो इसे खरीदने वाले देश के हितों की सुरक्षा करते हैं, के माध्यम से खरीदे जाते हैं। वर्तमान समय में इस क्षेत्र में हमारी क्षमताएं न्यूनतम हैं। तथापि, पूर्ण स्वदेशीकरण के उद्देश्य के साथ आगे देखते हुए यह अनिवार्य है कि एक अधुनातन अनुसंधान और विकास संस्थान बनाया जाए। यह संस्थान सतत आधार पर इस क्षेत्र में हो रहे नवोन्मेषों के साथ कदम से कदम मिलाकार चलेगा और उच्च अनुसंधान तथा शिक्षण के मौजूदा संस्थानों के माध्यम से अथवा ग्रीन फील्ड वेंचरों के माध्यम से इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में क्षमताएं विकसित करेगा।

11. मुझे बताया गया है कि अन्य संबद्ध क्षेत्रों में भी स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास हेतु काफी संभावनाएं हैं - जैसे कि मढ़े हुए सिक्के मशीनरी और संबद्ध सॉफ्टवेयर के क्षेत्र।

12. सुरक्षा उत्पादों के सभी पहलुओं में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के महत्व को देखते हुए मैने एक उच्चस्तरीय समिति गठित की है जिसकी संदर्भ शर्तों में से एक शर्त विभिन्न कच्चे माल के क्रमिक स्वदेशीकरण हेतु एक रोडमैप सुझाना है जिसमें अति आधुनिक मशीनरी और सुरक्षा विशेषताओं का भी समावेश है। मैं बड़ी उत्सुकता से इस समिति की सिफारिशों का इंतजार कर रहा हूँ जिसके पश्चात मैं भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से स्वदेशीकरण का एक रोड मैप तैयार करने की योजना बना रहा हूँ जो सुरक्षात्मक कच्चे माल की आवश्यकताओं का पूरी करेगा, हमारी करेंसी की विश्वसनीयता सुनिश्चित करेगा और जालसाज़ी की समस्या को कारगर रूप से उखाड़ फेंकने में हमें सक्षम बनायेगा।

13. मैं समझता हूँ कि इस परियोजना को लागू करने के लिए एक विस्तृत समय योजना तैयार की गयी है। इन मील के पत्थरों का अनुसरण करना महत्वपूर्ण होगा और मैं इस परियोजना के सफल और समय पर पूरी होने की कामना करता हूँ। मैं वित्त मंत्रालय और भारतीय रिज़र्व बैंक से यह आग्रह करता हूँ कि वे आवधिक अंतराल पर इस महत्वपूर्ण प्रयास के कार्यान्वयन की निगरानी करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह परियोजना समयबद्ध ढंग से पूरी हो। किसी ऐसे मुद्दे पर जहां मेरे स्तर पर हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़े वह मुझे बताया जाना चाहिए।

14. मैं इस अवसर पर एक बार फिर आप सभी को पुनः बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि यह ऐतिहासिक परियोजना अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेगी तथा राष्ट्र के सर्वोत्तम हितों को पूरा करेगी।